



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2015/चैत्र 25, 1937

No. 231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2015/CHAITRA 25, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2015

**सा.का.नि. 288(अ).**—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2015 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

- धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005,-

(क) नियम 2 के उपनियम (1) में,-

(1) खंड (घ) के पश्चात्, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि वहां कक्षीकारों के पतों के सबूत को सत्यापित करने के सीमित प्रयोजन के लिए सरलीकृत अध्युपाय उपयोजित किए जाते हैं वहां भावी ग्राहक पते का कोई भी सबूत पेश करने के लिए असमर्थ है, निम्नलिखित दस्तावेज 'शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज' समझे जाएंगे :

(क) किसी भी सेवा प्रदाता (विजली टेलीफोन पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल) का उपयोगिता बिल, जो दो मास से पुराना न हो ;

(ख) संपत्ति या नगरपालिक कर रसीद ;

- (ग) बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता विवरण ;
- (घ) सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या कुटुंब पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ), यदि इनमें पता अंतर्विष्ट हो ;
- (ङ) राज्य या केन्द्रीय सरकार के विभागों, कानूनी या विनियमित निकायों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए नियोक्ताओं से वास-सुविधा के आबंटन-पत्र, इसी प्रकार शासकीय वास सुविधा आबंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ इजाजत और अनुज्ञप्ति करार ;
- (च) विदेशी अधिकारिता के सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज और भारत में विदेशी राजदूतावास या मिशन द्वारा जारी किए गए पत्र ।।

[अधिसूचना सं. 1/2015/फा.सं. पी.12011/1/2013-एस.ओ.(ई.एस. सेल)]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

**टिप्पण-**मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 717(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2005, सा.का.नि. संख्यांक 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. संख्यांक 816(अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सा.का.नि. संख्यांक 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. संख्यांक 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. संख्यांक 980(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. संख्यांक 481(अ), तारीख 24 जून, 2011 और सा.का.नि. संख्यांक 576(अ), तारीख 27 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधित किए गए ।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2015

**G.S.R. 288(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005,—

(a) in rule 2, in sub-rule (1),—

(I) after clause (d), after the proviso the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that where simplified measures are applied for verifying the limited purpose of proof of address of the clients, where a prospective customer is unable to produce any proof of address, the following documents shall be deemed to be ‘officially valid document’:

- (a) utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, Water bill);
- (b) property or Municipal tax receipt;
- (c) bank account or Post Office savings bank account statement;
- (d) pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;
- (e) letter of allotment of accommodation from employer issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and licence agreements with such employers allotting official accommodation; and
- (f) documents issued by Government departments of foreign jurisdiction and letter issued by Foreign Embassy or Mission in India.”.

[Notification No. 1/2015/F.No.P.12011/1/2013-S.O. (E.S. Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

**Note:—**The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R.816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76 (E) dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980(E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481(E), dated the 24th June, 2011 and number G.S.R. 576(E), dated the 27th August, 2013.